

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(75)वित्त/राजस्व/1997

जयपुर, दिनांक 12.12.2024


संशोधित आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.12.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के निम्नांकित पद को स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पदनाम/कार्यालय जहां से पद स्थानान्तरित किया जाना है मय बजट मद	पदनाम/कार्यालय जहां को पद स्थानान्तरित किया गया है मय बजट मद
1.	स्टेट नोडल ऑफिसर, श्री अन्नपूर्णा योजना, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर (अतिरिक्त निदेशक (ग्रेड पे-8700 पे लेवल-21) (राज्य बीमा सेवा का पद)	अतिरिक्त निदेशक, (Research & Planning) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट शीर्ष 2210-05-001-(01) में

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के बारकोड संख्या 322400247 दिनांक 09.10.2024 तथा बारकोड संख्या 322400297 दिनांक 09.12.2024 की सहमति एवं उप मुख्यमंत्री महोदया की आई.डी संख्या 953/उप.मुख्यमंत्री(डी)/2024 दिनांक 11.11.2024 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की जाती है।

आज्ञा से


(धनलाल शेरवत)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव 12/12/24